"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 — माघ 5, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

अधिसूचना
सं. 3/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(2). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियम इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 3 के उपनियम (3क) में "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) 1 जनवरी, 2018 से नियम 7 की सारणी में,

(क) क्रम सं. 1 के स्तंभ सं. (3) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का आधा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) क्रम सं. 2 के स्तंभ सं. (3) में "ढाई प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का ढाई प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) क्रम सं. 3 के स्तंभ सं. (3) में "आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का आधा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 20 के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iv) नियम 24 के उपनियम (4) में "31 दिसंबर, 2017" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2018" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"31.क लॉटरी, बाजी, द्यूत तथा घुड़दौड़ की दशा में आपूर्ति का मूल्य.– (1) इस अध्याय के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट आपूर्तियों के संबंध में मूल्य, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित किया जाएगा ।

(2) (क) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी की आपूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का 100/112 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आपूर्ति का मूल्य, अंकित मूल्य का 100/128 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी;

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियां –

(क) "राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी" से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न किसी राज्य में विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी;

(ख) "राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी" से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न राज्य/राज्यों में विक्रय करने के लिए प्राधिकृत है; और

(ग) "आयोजित करने वाले राज्य" का वही अर्थ होगा जो उसे लॉटरी (विनियमन) नियम, के नियम 2 के उपनियम(1) के खंड (च) में दिया गया है ।

3. बाजी में जीतने के मौके के रुप में, द्यूत या दौड़ क्लब में घुड़दौड़ के अनुयोज्य दावे की आपूर्ति का मूल्य, बाजी के अंकित मूल्य या टोटलाइजर में संदत्त रकम का सौ प्रतिशत होगा ।";

(vi) नियम 43 के उपनियम (2), के पश्चात् स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण :- नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि छूट प्राप्त आपूर्ति के संकलित मूल्य में निम्नलिखित अपवर्जित होगा :-

(क) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1338 (अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 42/2017-एकीकृत कर(दर), तारीख 27/10/2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य;

(ख) निक्षेपों को स्वीकारने द्वारा सेवाओं का मूल्य, ऋण या अग्रिम का विस्तार, जहां तक कि प्रतिफल ब्याज या छूट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो निक्षेप स्वीकारने, ऋणों या अग्रिमों के विस्तार द्वारा सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, भी हैं, के अपवर्जित होंगे; और

(ग) भारत में सीमाशुल्क स्टेशन निकासी से भारत के बाहर किसी स्थान पर जलयान द्वारा माल के परिवहन द्वारा सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य ।";

(vii) नियम 54 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1अ) (क) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक के रुप में समान पैन और राज्य कोड रखता है, वह सामान्य इनपुट सेवा के जमा को इनपुट सेवा वितरक को अंतरित करने के लिए बीजक या यथास्थिति, जमा या विकलन टिप्पण जारी कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :-

(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक के रुप में समान पैन और राज्य कोड रखता है का नाम, पता तथा माल और सेवाकर पहचान सं.;

(ii) सोलह अक्षरों से अनधिक क्रमवर्ती क्रमसंख्या, एक या बहु श्रेणियां, जिसके अंतर्गत वर्ण या अंक या विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश या स्लैश चिह्न जैसे कि क्रमश:, "-" और "/" और वित्तीय वर्ष के लिए कोई विशिष्ट सहयोजन;

(iii) जारी करने की तारीख;

(iv) सामान्य सेवा के आपूर्तिकर्ता का माल और सेवाकर पहचान सं. तथा मूल बीजक सं. जिसकी जमा इनपुट सेवा वितरक को अंतरित करना चाही गई है;

(v) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता तथा माल और सेवाकर पहचान सं.;

(vi) जमा का कराधेय मूल्य, दर और रकम जो अंतरित की जानी है; और

(vii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।

(ख) खंड (क) के अधीन जारी बीजक में कराधेय मूल्य सामान्य सेवाओं के मूल्य के समान होगा ।";

(viii) नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"55क माल के अंतरण के साथ आपूर्ति का कर बीजक या बिल.- वाहन के भार साधक व्यक्ति नियम 46, 46क या यथास्थिति नियम 49 के उपबंधों के अनुसरण मे जारी आपूर्ति के कर बीजक के बिल की प्रति साथ रखेगा यदि ऐसे व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन ई-वे बिल साथ में रखना अपेक्षित नहीं है ।";

(ix) 23 अक्तूबर, 2017 से, नियम 89 के उपनियम (4क) और उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(4क) प्राप्त आपूर्तियों की दशा में जिस तक आपूर्तिकर्ता ने राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 48/2017-राज्य कर क्रमांक-10-87-2017/वाक/पांच(153) तारीख 18 अक्टूबर, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 468 में, तारीख 28 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित किया गया था, का लाभ उठाया है को माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति शून्य-दर बनाने के लिए उपयोग की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर जमा का प्रतिदाय प्रदान किया जाएगा ।

(4ख) प्राप्त आपूर्ति की दशा में, आपूर्तिकर्ता ने राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 40/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-94/2017/वाक/पांच(173) तारीख 15 नवंबर 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 506 तारीख 21 नवंबर 2017 में प्रकाशित किया गया था या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1321(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1272(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमा-शुल्क तारीख 13 अक्तूबर, 2017 अथवा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1299 (अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017- सीमा-शुल्क कर तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या इन सभी, का लाभ उठाया है को माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचना के अधीन प्राप्त इनपुट के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर जमा का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने के लिए उपयोग के विस्तार तक की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में उपयोग की गई इनपुट कर जमा प्रदान की जाएगी ।"

(x) 23 अक्तूबर, 2017 से, नियम 96 में,

(क) उपनियम (1) में, "निर्यातकर्ता" शब्दों के स्थान पर "मालों के निर्यातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, "सुसंगत निर्यात बीजकों" शब्दों के स्थान पर "निर्यात किए गए माल के संबंध में सुसंगत निर्यात बीजकों" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) में, "सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा" शब्दों के स्थान पर "सीमाशुल्क या सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अभिहित सिस्टम, मालों के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (9), के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(9) भारत के बाहर निर्यात की गई सेवाओं पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 में भरा जाएगा और नियम 89 के उपबंधों के अनुसरण में व्यौवहार किया जाएगा"।

(10) व्यक्ति जो निर्यात किए गए माल या सेवाओं के लिए संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है उसे ऐसी आपूर्ति प्राप्त नहीं करनी चाहिए जिस पर आपूर्तिकर्ता ने राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं.48/2017-राज्य कर क्रमांक एफ-10-87/2017/वाक/पांच (153) तारीख 18 अक्टूबर 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 468 तारीख 28 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित किया गया था या राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 40/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-94/2017/वाक/पांच(173) तारीख 15 नवंबर 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 506 में तारीख 21 नवंबर 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1321(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1272(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1299(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13/10/2017 का लाभ उठाया है ।";

(xi) तारीख 1 फरवरी, 2018 से, नियम 138 के स्थान से निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का—

(i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है ; या

(ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है ; या

(iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित किया होगी ।

परंतु जहां माल एक राज्य में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य में अवस्थित कार्यकर्मकार को भेजा जाता है, तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी द्वारा सृजित जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां हस्तशिल्प माल एक राज्य से दूसरे में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खंड ( ) और ( ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित जाएगा"

स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प माल" से वह अर्थ होगा जो इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1158 (अ) द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. 32/2017-राज्य कर, तारीख 15/09/2017 में दिया गया है ।

स्पष्टीकरण 2 - इस नियम के प्रयोजन के लिए माल का पारेषण मूल्य वह मूल्य के संबंध में जारी किए गए यथास्थिति, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजों में भारित किया गया सैस, यदि कोई हो, भी है ।

(2) जहां माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा:

परंतु जहां माल का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, किया जाता है ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता होते हुए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा, जो सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा –

(क) प्ररुप जीएसटी इडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना; और

(ख) यथास्थिति, रेलवे प्राप्ति या वायुयान पारेषण टिप्पण या लदान का बिल की क्रम सं. और तारीख।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है :

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 में ई-बिल का सृजन कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से आगे परिवहन के लिए दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या यथास्थिति परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

स्पष्टीकरण 1.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है ।

स्पष्टीकरण 2.- ई वे बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि प्ररुप ज़ीएसटी ईब्ल्युबी-01 बिल भाग-ख में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा के जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परंतुक और उपनियम (5) के परंतुक के अंतर्गत आता है ।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्रासिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसनें प्ररुप जीएसटी ईडब्लूबी-01 के भाग क में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 में वाहन के ई-वे बिल के ब्यौरे अद्यतन करेगा :

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमत: पारेषिती के कारबार के स्थान से दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जाएगा ।

(5क) पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग क में सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारेषण के आगे परिवहन के लिए प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग ख में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ईब्ल्युबी-01 बिल सं. समनुदेशित कर सकेगा ।

परन्तु एक बार परिवहनकर्ता द्वारा प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग ख में अद्ययन कर दी जाती है, यथास्थिति, पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग क में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–02 में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा ।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 का सृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो परिवहनकर्ता, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या बिल या परिदान चालान के आधार पर प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 का सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा ।

परंतु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्लूबी-01 के भाग क में सूचना दी जा सकेगी ।

(8) प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परंतु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार या गैर-रजिस्ट्रकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध है ।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटें के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है ।

परंतु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या प्ररुप जीएसटी ईडब्लूबी-01 के भाग ख के अद्यतन के लिए 72 घंटे तक विधिमान्य होगी ।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा :

सारणी

क्रम सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् दूसरा ई-वे बिल सृजित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटों के रूप में की जाएगी ।

(11) उप-नियम (1) के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा-

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवाहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में जानकारी दी गई है; या

(ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवाहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा ।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घण्टे के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है ।

(13) इस नियम या किसी राज्य के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा ।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी —

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा-शुल्क केंद्र से किसी ई-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा-शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है ; और

(घ) ऐसे माल के संचलन के संबंध में और राज्य के ऐसे क्षेत्र के भीतर, जैसा राज्य कर आयुक्त, केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त से परामर्श कर, अधिसूचित करे;

(ङ) जहां डी-ऑयल्ड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ) द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ;

(च) जहां माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन ; और

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है ।

स्पष्टीकरण—ई-वे बिल के सृजन और रद्द करने की सुविधा को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

उपाबंध

[(देखें नियम 138(14)]

क्र. सं.	माल का विवरण
(1)	(3)
	परिवार और गैर-घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न ; कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय-71)
	करेंसी
	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
	प्रवाल, अकर्मित(0508) और कर्मित प्रवाल(9601).”;

(xii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(xiii) तारीख 1 फरवरी, 2018 से, नियम 138ख में उप-नियम (3) के परंतुक में "करने के पश्चात् किसी" शब्दों के स्थान पर "करने के पश्चात् किसी अन्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(xiv) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में,

(क) विवरण 1क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"विवरण-2

[नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपये में)

क्र. सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी/ एफआईआरसी		नामे नोट में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो	जमापत्र में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+ 10-11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-3

[नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रुपये में)

क्र. सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/सेवा (जी/एस)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र			ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी/ एफआईआरसी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12";

(ख) विवरण 3क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"विवरण-4

[नियम 89(2)(घ) और 89(2) (ङ)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को (कर का संदाय पर) किए गए प्रदाय के मद्दे

(रकम रुपये में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			विशेष आर्थिक जोन द्वारा पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामे नोट में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो	जमा पत्र में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10-11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12";

(xv) तारीख 1 फरवरी, 2018 से, प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 और प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-02 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी -01

(नियम 138 देखिये)

ई-वे बिल

ई-वे बिल सं. :

ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

से विधिमान्य :

तक विधिमान्य :

भाग-क		
क.1	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	
क.2	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क.3	परिदान का स्थान	
क.4	दस्तावेज संख्यांक	
क.5	दस्तावेज की तारीख	
क.6	माल का मूल्य	
क.7	एचएसएन कोड	
क.8	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख.1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख.2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक	

टिप्पण :

1. क.7 में एचएसएन कोड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा ।

2. दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश पत्र का हो सकेगा ।

3. परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है ।

4. परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा ।

5. परिवहन का कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा :-

कोड	विवरण
	प्रदाय
	निर्यात या आयात
	छुट-पुट कार्य
	एसकेडी या सीकेडी
	प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
	लाइन सेल्स
	विक्रय की विवरणी
	प्रदर्शनी या मेले
	स्वयं के उपयोग के लिए
0	अन्य

प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी -02
(नियम 138 देखें)

समेकित ई-वे बिल

समेकित ई-वे बिल संख्यांक :

समेकित ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

यान संख्या :

ई-वे बिल संख्या	
ई-वे बिल सं.";	

(xvii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(xviii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण :- मूल नियम राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 3/2017-राज्य कर क्रमांक एफ 10-40/2017/वाक/पांच(67) तारीख 28 जून 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 254 में तारीख 29 जून 2017 को प्रकाशित किया गया था और किए गए थे और राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 75/2017-राज्य कर क्रमांक एफ 10-98/2017/वाक/पांच(189) तारीख 29 दिसम्बर 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 581 में तारीख 30 दिसम्बर 2017 को प्रकाशित किया गया था, उनमें अंतिम बार संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच (2), दिनांक 24-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th January 2018

NOTIFICATION
No. 03/2018 – State Tax

No. F-10- 2/2018/CT/V (2). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of issue of this notification.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 3, in sub-rule (3A), for the words "ninety days", the words "one hundred and eighty days" shall be substituted;

(ii) with effect from1st January, 2018, in rule 7, in the Table,

(a) in Sl. No. 1, in column number(3), for the words "one per cent.", the words "half per cent. of the turnover in the State or Union territory" shall be substituted;

(b) in Sl. No. 2, in column number(3), for the words "two and a half per cent.", the words "two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory" shall be substituted;

(c) in Sl. No. 3, in column number(3), for the words "half per cent.", the words "half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods in the State or Union territory" shall be substituted;

(iii) in rule 20, the proviso shall be omitted;

(iv) in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word "31st December, 2017", the figures, letters and word "31stMarch, 2018" shall be substituted;

(v) after rule31, the following rule shall be inserted, namely :-

"31AValue of supply in case of lottery, betting, gambling and horse racing.-(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value in respect of supplies specified below shall be determined in the manner provided hereinafter.

(2) (a) The value of supply of lottery run by State Governments shall be deemed tobe100/112 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.

(b) The value of supply of lottery authorised by State Governments shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.

Explanation:– For the purposes of this sub-rule, the expressions-

(a) "lottery run by State Governments" means a lottery not allowed to be sold in any State other than the organizing State.

(b) "lotteryauthorised by State Governments" means a lottery which is authorised to be sold in State(s) other than the organising State also.

(c) OrganisingState has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.

(3) The value of supply of actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling or horse racing in a race club shall be 100% of the face value of the bet or the amount paid into the totalisator.";

(vi) in rule 43, after sub-rule (2), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :-

"Explanation:-For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude :-

(a) the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1338(E) dated the 27th October, 2017.

(b) the value of services by way of accepting deposits, extending loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, except in case of a banking company or a financial institution including a non-banking financial company, engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances.

(c) the value of supply of services by way of transportation of goods by a vessel from the customs station of clearance in India to a place outside India.";

(vii) in rule 54, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(1A)(a) A registered person, having the same PAN and State code as an Input Service Distributor, may issue an invoice or, as the case may be, a credit or debit note to transfer the credit of common input services to the Input Service Distributor, which shall contain the following details :-

(i) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the registered person having the same PAN and same State code as the Input Service Distributor;

(ii) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters hyphen or dash and slash symbolised as , "-", "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;

(iii) date of its issue;

(iv) Goods and Services Tax Identification Number of supplier of common service and original invoice number whose credit is sought to be transferred to the Input Service Distributor;

(v) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the Input Service Distributor;

(vi) taxable value, rate and amount of the credit to be transferred; and

(vii) signature or digital signature of the registered person or his authorised representative.

(b) The taxable value in the invoice issued under clause (a) shall be the same as the value of the common services.";

(viii) after rule 55, the following rule shall be inserted, namely :-

"55ATax Invoice or bill of supply to accompany transport of goods.- The person-in-charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or the bill of supply issued in accordance with the provisions of rules 46, 46A or 49, in a case where such person is not required to carry an e-way bill under these rules.";

(ix) with effect from the 23rd October, 2017, in rule 89, for sub-rule (4A) and sub-rule (4B), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(4A)In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 48/2017-Central Tax dated the 18th October, 2017 published in the Gazette of Indiavide number G.S.R 1305 (E), refund of input tax credit, availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both, shall be granted.

(4B)In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated the 15th November, 2017 published in the Gazette of Chhattisgarh vide number 506 Dated 21st November 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R 1321(E) or notification No. 78/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R 1272(E) or notification No. 79/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R 1299(E), or all of them, refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted."

(x) with effect from the 23rd October, 2017, in rule 96,

(a) in sub-rule (1), for the words "an exporter", the words "an exporter of goods" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words "relevant export invoices", the words "relevant export invoices in respect of export of goods" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the words "the system designated by the Customs shall process the claim for refund", the words "the system designated by the Customs or the proper officer of Customs, as the case may be, shall process the claim of refund in respect of export of goods " shall be substituted;

(d) for sub-rule (9), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(9) The application for refund of integrated tax paid on the services exported out of India shall be filed in FORM GST RFD-01 and shall be dealt with in accordance with the provisions of rule 89".

(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, notification No. 48/2017-State Tax dated 18.10.2017 published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary) vide number 468 Dated 28th October 2017 or notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated 15.11.2017 published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary) vide number 506 dated 21st November 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23.10.2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R 1321 (E) or notification No. 78/2017-Customs

dated 13.10.2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R 1272(E) or notification No. 79/2017-Customs dated 13.10. 2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R 1299 (E).";

(xi) with effect from the 1st February, 2018, for rule 138, the following rule shall be substituted, namely :-

"138. Information to be furnished prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill.- (1) Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding fifty thousand rupees—

(i) in relation to a supply; or

(ii) for reasons other than supply; or

(iii) due to inward supply from an unregistered person,

shall, before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods as specified in Part A of FORM GST EWB-01, electronically, on the common portal along with such other information as may be required at the common portal and a unique number will be generated on the said portal:

Provided that where goods are sent by a principal located in one State to a job worker located in any other State, the e-way bill shall be generated by the principal irrespective of the value of the consignment:

Provided further that where handicraft goods are transported from one State to another by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation 1. – For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the Government of India, Ministry of Finance, notification No.32/2017-State Tax dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R 1158 (E) as amended from time to time.

Explanation 2.- For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value, determined in accordance with the provisions of section 15, declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, State or Union territory tax, integrated tax and cess charged, if any, in the document.

(2) Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or by railways or by air or by vessel, the said person or the recipient may generate the e-way bill in FORM GST EWB-01 electronically on the common portal after furnishing information in Part B of FORM GST EWB-01:

Provided that where the goods are transported by railways or by air or vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or the recipient, who shall furnish, on the common portal, the-

(a) information in Part B of FORM GST EWB-01; and

(b) the serial number and date of the Railway Receipt or the Air Consignment Note or Bill of Lading, as the case may be.

(3) Where the e-way bill is not generated under sub-rule (2) and the goods are handed over to a transporter for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in Part A of FORM GST EWB-01:

Provided that the registered person or, the transporter, as the case may be may, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees:

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in FORM GST EWB-01 on the common portal in the manner specified in this rule:

Provided also that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State or Union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the recipient, or as the case maybe, the transporter may not furnish the details of conveyance in Part B of FORM GST EWB-01.

Explanation 1.– For the purposes of this sub-rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

Explanation 2.- The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information in Part-B of FORM GST EWB-01 has been furnished except in the case of movements covered under the third proviso to sub-rule (3) and the proviso to sub-rule (5).

(4) Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal.

(5) Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consigner or the recipient, who has provided information in Part- A of the FORM GST EWB-01, or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in FORM GST EWB-01:

Provided that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State or Union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated in the e-way bill.

(5A) The consignor or the recipient, who has furnished the information in Part-A of FORM GST EWB-01, or the transporter, may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in Part-B of FORM GST EWB-01 for further movement of consignment:

Provided that once the details of the conveyance have been updated by the transporter in Part B of FORM GST EWB-01, the consignor or recipient, as the case maybe, who has furnished the information in Part-A of FORM GST EWB-01 shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter.

(6) After e-way bill has been generated in accordance with the provisions of sub-rule (1), where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill in FORM GST EWB-02maybe generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

(7) Where the consignor or the consignee has not generated FORM GST EWB-01 in accordance with the provisions of sub-rule (1) and the value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter shall generate FORM GSTEWB-01 on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in FORM GST EWB-02 on the common portal prior to the movement of goods:

Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator, the information in Part A of FORM GST EWB-01 may be furnished by such e-commerce operator.

(8) The information furnished in Part A of FORM GST EWB-01 shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing details in FORM GSTR-1:

Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier or an unregistered recipient in FORM GST EWB-01, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

(9) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal, within 24 hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B:

Provided further the unique number generated under sub-rule (1) shall be valid for 72 hours for updation of Part B of FORM GST EWB-01.

(10) An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance, within the country, the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table :-

TABLE

Sl. no.	Distance	Validity period
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 km.	One day
2.	For every 100 km or part thereof thereafter	One additional day:

Provided that the Commissioner may, by notification, extend the validity period of e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein:

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may generate another e-way bill after updating the details in Part B of FORM GSTEWB-01.

Explanation.—For the purposes of this rule, the "relevant date" shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as twenty-four hours.

(11) The details of e-way bill generated under sub-rule (1) shall be made available to the-

(a) supplier, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01 has been furnished by the recipient or the transporter, or

(b) recipient, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01has been furnished by the supplier or the transporter,

on the common portal, and the supplier or the recipient, as the case maybe, shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.

(12) Where the person to whom the information specified in sub-rule (11) has been made available does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, it shall be deemed that he has accepted the said details.

(13) The e-way bill generated under this rule or under rule 138 of the Goods and Services Tax Rules of any State shall be valid in every State and Union territory.

(14) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated—

(a) where the goods being transported are specified in Annexure;

(b) where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;

(c) where the goods are being transported from the port, airport, aircargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs;

(d) in respect of movement of such goods and within such areas in the State as the Commissioner of State Tax, in consultation with the Principal Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central Tax, may notify."

(e) where the goods, other than de-oiled cake, being transported are specified in the Schedule appended to notification No. 2/2017- State tax (Rate) dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary) vide number 252 dated 29th June 2017 as amended from time to time;

(f) where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas or aviation turbine fuel; and

(g) where the goods being transported are treated as no supply under Schedule III of the Act.

Explanation. - The facility of generation and cancellation of e-way bill may also be made available through SMS.

ANNEXURE
[(See rule 138 (14)]

S. No.	Description of Goods
(1)	(2)
1.	Liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category (NDEC) customers
2.	Kerosene oil sold under PDS
3.	Postal baggage transported by Department of Posts
4.	Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones; precious metals and metals clad with precious metal (Chapter 71)
5.	Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares and other articles (Chapter 71)
6.	Currency
7.	Used personal and household effects
8.	Coral, unworked (0508) and worked coral (9601).”;

(xii) with effect from the 1st February, 2018, in rule 138A, in sub-rule (5), for the words “Notwithstanding anything contained”, the words “Notwithstanding anything contained in” shall be substituted;

(xiii) with effect from the 1st February, 2018, in rule 138B, in sub-rule (3), in the proviso, for the words “carried out by any”, the words “carried out by any other” shall be substituted;

(xiv) in FORM GST RFD-01A,

(a) after Statement 1A, the following Statements shall be inserted, namely :-

"Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3 [rule 89(2)(b) and 89(2)(c)]

Refund Type : Export without payment of tax (accumulated ITC)

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/ FIRC	
	No.	Date	Value		Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											";

(b) after Statement 3A, the following Statement shall be inserted, namely :-

"Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type : On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10–11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											";

(xv) with effect from the 1st February, 2018, forFORM GST EWB-01 and FORM GST EWB-02, the following forms shall be substituted, namely :-

FORM GST EWB-01
(See rule 138)

E-Way Bill

E-Way Bill No. :
E-Way Bill date :
Generator :
Valid from :
Valid until :

PART-A		
A.1	GSTIN of Supplier	
A.2	GSTIN of Recipient	
A.3	Place of Delivery	
A.4	Document Number	
A.5	Document Date	
A.6	Value of Goods	
A.7	HSN Code	
A.8	Reason for Transportation	
PART-B		
B.1	Vehicle Number for Road	
B.2	Transport Document Number	

Notes :

1. HSN Code in column A.7 shall be indicated at minimum two digit level for taxpayers having annual turnover upto five crore rupees in the preceding financial year and at four digit level for taxpayers having annual turnover above five crore rupees in the preceding financial year.
2. Document Number may be of Tax Invoice, Bill of Supply, Delivery Challan or Bill of Entry.
3. Transport Document number indicates Goods Receipt Number or Railway Receipt Number or Airway Bill Number or Bill of Lading Number.
4. Place of Delivery shall indicate the PIN Code of place of delivery.
5. Reason for Transportation shall be chosen from one of the following :-

Code	Description
1	Supply
2	Export or Import
3	Job Work
4	SKD or CKD
5	Recipient not known
6	Line Sales
7	Sales Return
8	Exhibition or fairs
9	For own use
0	Others

FORM GST EWB-02
(See rule 138)

Consolidated E-Way Bill

Consolidated E-Way Bill No. :
Consolidated E-Way Bill Date :
Generator :
Vehicle Number :

Number of E-Way Bills	
E-Way Bill Number	
”;	

(xvi) with effect from 1st February, 2018, inFORM GST EWB-03, for the letters “UT”, at both places where they occur, the words “Union territory”shall be substituted;

(xvii) with effect from 1st February, 2018, in FORM GST INV-01, for the letters “UT”, the words “Union territory”shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

अधिसूचना

सं. 4/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(3) . — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी मास/तिमाही के लिए जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है,उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त ब्यौरे देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. **त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(3). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच (3), दिनांक 24-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. **त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th January 2018

NOTIFICATION
No. 04/2018 – State Tax

No. F-10- 2 /2018/CT/V (3). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the details of outward supplies for any month/quarter in FORM GSTR-1 by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues :

Provided that where there are no outward supplies in any month/quarter, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said details by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

अधिसूचना

सं. 5/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(4). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5 में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है :

परंतु, जहां उक्त विवरणी में, राज्य कर की कुल संदेय रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(4). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच (4), दिनांक 24-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th January 2018

NOTIFICATION
No. 05/2018 – State Tax

No. F-10-2/2018/CT/V (4). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-5 by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues :

Provided that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

अधिसूचना

सं. 6/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(5). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5क में देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(5). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच (5), दिनांक 24-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th January 2018

NOTIFICATION
No. 06/2018 – State Tax

No. F-10-2 /2018/CT/V (5). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-5A by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues :

Provided that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

अधिसूचना

सं. 07/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(6). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(6). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच (6), दिनांक 24-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th January 2018

NOTIFICATION
No. 07/2018 – State Tax

No. F-10- 2/2018/CT/V (6). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-6 by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

अधिसूचना

सं. 9/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(7). — राज्य सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 4/2017-राज्य कर क्रमांक-10-40-2017/वाक/पांच(63) तारीख 21 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 243 में, 22 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल और इलेक्ट्रोनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण.-

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है;

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है; और

2. यह अधिसचूना 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(7). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच (7), दिनांक 24-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th January 2018

NOTIFICATION
No. 09/2018 – State Tax

No. F-10-2/2018/CT/V (7). — In exercise of the powers conferred by section 146 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with section 20 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), and in supersession of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 4/2017-State Tax notification No. F-10-40/2017/CT/V (63), dated the 21th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 243, dated the 22th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax andwww.ewaybillgst.gov.inas the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.-

(1) For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)

(2) For the purposes of this notification, "www.ewaybillgst.gov.in" means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.